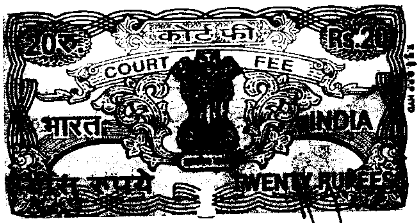

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक............
को प्रस्तुत।

No. 49
Dt. 27.01.2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

R-775-PBR/17

श्री

निगरानी क्र. /2017
प्रस्तुति दिनांक 27.01.2017

श्रीमान् मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

श्रीमती मंगलाबाई पति नरेन्द्र कुमार सोनी
उम्र – 54 वर्ष, धंधा – गृहकार्य
निवासी – 1522, सुदामा नगर,
इन्दौर (म.प्र.) ....प्रार्थी

विरूद्ध

प्रकाशचंद पिता स्व. श्री बंशीलालजी सोनी
उम्र – 62 वर्ष, धंधा – व्यापार
निवासी – 114, सिलावटपुरा, इन्दौर (म.प्र.) ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

प्रार्थी की ओर से नम्र निवेदन है कि :–

यह कि, उक्त निगरानी श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय सांवेर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 59/अ X 27/14–15 में पारित आदेश दिनांक 04/01/2017 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 775–पीबीआर/17 जिला **इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–3–2017	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदिका की आपत्ति निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 29–8–16 के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	